न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व मुकदमा नम्बर :– 2 / 2024

जीसीएमएस नम्बर :– 2024 / 160

उनवान

1. सुखीदेवी उर्फ सन्तु पुत्री डालु भील निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सायरी पुत्री लेहरू भील निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. लक्ष्मण आत्मज गोकल भील निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बरजी पुत्री गोकल भील निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रूकमण पुत्री गोकल भील निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व निर्णय ग्राम पंचायत बागोलिया नामान्तरणकरण संख्या 198 दिनांक 26.05.2010

उपस्थित

1. अमरसिंह चारण – अधिवक्ता अपीलार्थी
2. विपक्षी संख्या 1 लगायत 3, 5 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक :– 14.10.2025

प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बाड़ी पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में राजस्व खातो का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.स.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	कुल किता	कुल रकबा
1	बाड़ी	47	9	2.28
2	बाड़ी	48	5	3.21
3	बाड़ी	166	21	2.91
4	बाड़ी	167	8	1.57
5	बाड़ी	168	8	0.64

उक्त वर्णित भूमि गोकल व अन्य खातेदारों के नाम दर्ज रेकार्ड थी। खातेदार गोकल आत्मज रामा का स्वर्गवास हो चुका है। गोकल की पत्नि प्रतापी का भी स्वर्गवास हो चुका है तदुपरान्त गोकल आत्मज रामा भील की विरासत का नामान्तकरण सख्या 198 पटवारी हल्का द्वारा गोकल आत्मज रामा भील के विधिक वारिसान लक्ष्मण आत्मज गोकल भील, बरजी,

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) रायपुर

रूकमण पुत्री गोकल भील व गोकल के मृतक पुत्र डालु की पुत्री अपीलान्टस सुखीदेवी उर्फ सन्तु तथा गोकल जी के मृतक पुत्र लेहरू की पुत्री अपीलान्ट सायरी के नाम पर भरा गया और उसे स्वीकृत करवाने हेतु उसे ग्राम पंचायत बागोलिया मे प्रस्तुत किया गया लेकिन ग्राम पंचायत बागोलिया ने नामान्तरकरण संख्या 198 की पुश्त पर बरजी, रूकमण पुत्री गोकल, सन्तु पत्री डालु, सायरी पुत्री लहेरू शादी शुदा होने से ससुराल में रहती है का अंकन करते हुए नामान्तरकरण तन्हा रुप से रेस्पोडेन्ट लक्ष्मण आत्मज गोकल जी भील के नाम पर दिनाक 26/5/2010 को स्वीकृत कर दिया गया जब कि अपीलान्ट सुखीदेवी उर्फ सन्तु गोकल जी के मृतक पुत्र डालु जी की जायन्दा पुत्री तथा अपीलान्ट सायरी गोकल जी के मृतक पुत्र लहरू जी की जायन्दा पुत्री तथा रेस्पोडेन्ट बरजी व रूकमण दोनो मृतक खातेदार गोकल जी की जायन्दा पुत्रिया होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है, जिससे मृतक खातेदार गोकल आत्मज रामा भील की समस्त चल एवं अचल सम्पति मे मुझ अपीलान्ट सुखीदेवी उर्फ सन्तु का 1/5 हिस्सा, अपीलान्ट सायरी का 1/5 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट बरजी का 1/5 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट रूकमण का 1/5 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट लक्ष्मण का 1/5 हिस्सा बनता है लेकिन ग्राम पंचायत बागोलिया ने केवल मात्र रेस्पोडेन्ट लक्ष्मण के नाम पर नामान्तरकरण गलत रुप से फैसल किया गया है, जिससे व्यथीत होकर अपीलान्ट्स यह अपील निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत करती है:–

1. यह कि उक्त नामान्तरकरण आदेश अधिनस्त ग्राम पंचायत बागोलिया सर्वथा खिलाफ कानुन एवं वाकेयात के होकर काबिल निरस्ती के है।
2. यह कि अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्टस एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है, जिनके मूल खातेदार गोकल आत्मज रामा भील के तीन पुत्र डालु, लेहरू, लक्ष्मण व दो पुत्रिया बरजी व रूकमण है. जिनमे से डालु आत्मज गोकल जी भील का स्वर्गवास हो चुका है जिसकी एक मात्र पुत्री अपीलान्ट सुखीदेवी उर्फ सन्तु तथा लहेरू आत्मज गोकल जी भील का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिसकी एक पुत्री अपीलान्ट सायरी तथा रेस्पोडेन्ट बरजी व रूकमण दोनो गोकल की जायन्दा पुत्रिया होकर प्रथम श्रेणी वारिस है, जिससे मृतक गोकल की आराजियात मे अपीलान्ट सुखीदेवी उर्फ सन्तु का 1/5 हिस्सा व अपीलान्ट सायरी का 1/5 हिस्सा बनता है।
3. यह कि अपीलान्टस हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत गोकल जी की प्रथम श्रेणी के वारिसान है, जिसके तहत अपीलान्ट प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा बनता है ।
4. यह कि अधिनस्त ग्राम पंचायत बागोलिया ने उक्त नामान्तरकरण आदेश पारित करने से पुर्व मृतक गोकल के कानुनी वारिसान बाबत कोई जांच व जानकारी नहीं की है तथा पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस बरजी व रूकमण के नाम ~~नामान्तरकरण भरते हुए भी शादी शुदा होने व ससुराल में निवास करने के तथ्य~~ अंकित करते हुए केवल मात्र लक्ष्मण के नाम पर नामान्तरकरण फैसल किया गया है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जयपुर

5. यह कि वादग्रस्त आराजियात पर अपीलान्टस अपने जन्म से लगा कर आज दिन तक कानूनी सह काश्तकार की हैसियत से काबिज चली आ रही है। वादग्रस्त आराजियात पुश्तेनी सम्पति है और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलान्टस का वादग्रस्त आराजियात ने कानुनी हक व हिस्सा है।

6. यह कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत बागोलिया ने अपीलान्टस को बिना कोई नोटिस जारी किये एवं बिना हम अपीलान्ट्स को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये ही उक्त नामान्तरकरण आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्ती के है। अधिनस्त ग्राम पंचायत ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का हनन किया है।

7. यह कि रेस्पोडेन्ट लक्ष्मण के नाम पर वर्तमान मे ग्राम बाडी के राजस्व खाता संख्या 335 में अंकित आराजियात कुल किता 5 कुल रकबा 2 34 हेक्टेयर दर्ज रेकार्ड है तथा राजस्व खाता संख्या 175 में अंकित आराजियात कुल किता 8 कुल रकबा 0.64 हेक्टेयर भुमि मे रेस्पोडेन्ट लक्ष्मण का 1/12 हिस्सा तथा राजस्व खाता संख्या 174 में अंकित आराजियात कुल किता 8 कुल रकबा 1.57 हेक्टेयर मे रेस्पोडेन्ट लक्ष्मण का 1/8 हिस्सा, राजस्व खाता संख्या 173 मे अंकित आराजियात कुल किता 21 कुल रकबा 2.91 हेक्टेयर मे रेस्पोडेन्ट लक्ष्मण का 1/4 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है तथा रेस्पोडेन्ट लक्ष्मण ने पुर्व मे कुछ आराजियात को अन्य को विक्रय कर दी ।

8. उक्त नामान्तरण आदेश अपीलान्ट्स की अनुपस्थिति में पारित किया गया जिसकी सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट्स को दिनांक 15.04.2024 जमाबन्दी की नकल लेने के दौरान हुई। अपीलान्ट्स द्वारा दिनांक 19.04.2024 को तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर नकले प्राप्त की गई तब जानकारी हुई जिससे अपीलान्ट्स को दिनांक 26.05.2010 से दिनांक 19.04.2024 तक का समय जानकारी के अभाव में मुजरा दिलाते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ ग्राम पंचायत बागोलिया तहसील रायपुर के द्वारा दिनांक 26.05.2010 बाबत् नामान्तकरण संख्या 198 ग्राम बाड़ी को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट्स सुखीदेवी उर्फ सन्तु का 1/5 हिस्सा व अपीलान्ट् सायरी का 1/5 हिस्सा राजस्व रेकार्ड मं दर्ज किया जावे।

प्रस्तुत अपील के आधार पर प्रकरण दिनांक 01.04.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 3 व 5 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 26.08.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं प्रत्यर्थीगण 4 तहसीलदार रायपुर फोरमल पक्षकार है।

अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मूल खातेदार गोकल आत्मज रामा के नाम भूमि दर्ज रेकार्ड थी जिसकी मृत्यु उपरान्त उसके विधिक वारीसान सुखीदेवी उर्फ सन्तु, सायरी, बरजी, रूकमण, लक्ष्मण है के नाम

सहायक कलक्टर
(भिलवाड़ा) रायपुर

नामान्तरण स्वीकृत किया जाना था परन्तु ग्राम पंचायत बागोलिया द्वारा नामान्तकरण 198 दिनांक 26.05.2010 को दर्ज किया गया जिसमें बरजी, रूकमण पिता गोकल, सन्तु पुत्री डालु, सायरी पुत्री डालु शादीशुदा होकर सुसराल में रहती है का अंकन कर लक्ष्मण पिता गोकल के नाम दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तकरण की स्वीकृती दिनांक 26.05.2010 से 19.04..2024 तक की अवधि को जानकारी अभाव में मुजरा दिलाते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार फरमाते हुए अपील स्वीकार फरमाई जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी नकल एवं नामान्तकरण पर गंभीरता से विचार किया गया तो पाया कि अपील में वर्णित भूमि का मूल खातेदार गोकल पिता रामा भील थे उनके फोत होने पर नामान्तकरण संख्या 198 दिनांक 26.05.2010 को बरजी, रूकमण पिता गोकल, सन्तु पुत्री डालु, सायरी पुत्री डालु शादीशुदा होकर सुसराल में रहती है का अंकन कर लक्ष्मण पिता गोकल के नाम दर्ज किया गया है। नामान्तरण में अपीलान्ट्स का विवरण अंकित गया है लेकिन नामान्तरण की प्रकिया का पालना नही किया जाकर केवल लक्ष्मण पिता गोकल के नाम फैसल कर दिया जो कि विधि विरूद्व है। रेस्पोडेन्ट की ओर से बावजूद सूचना कोई जबाव प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए नामान्तकरण स्वीकृत दिनांक से अपील प्रस्तुत तक की अवधि को कन्डोन करते हुए अपील स्वीकार की जाना उचित प्रतीत होता है।

::– आदेश –::

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पंचायत बागोलिया तहसील रायपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 198 के निर्णय दिनांक 26.05. 2010 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रायपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार गोकल पिता रामा भील निवासी बाड़ी के विधिक वारीसान की जांच कर अपील में वर्णित भूमि का नामान्तकरण सभी पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुसार नामान्तकरण की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद दाखला नम्बर रो कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14-10-2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.आ.)रायपुर